न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 11/2024 अपील

उनवान

उदयराम पिता रूपा अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा।

—अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा।
2. मगना पिता रूपा अहीर निवासी तख्तपुरा, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, विरूद्व आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार हमीरगढ प्रकरण संख्या 02/2024 निर्णय दिनांक 01.05.2024।

1. अधिवक्ता अपीलार्थी — जगदीश चंद्र दाधीच उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 10/02/2026

1— अपीलार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि— धारा 91 भू—राजस्व अधि० के तहत कायम कार्यवाही के तहत प्रकरण संस्थित करने के बाद प्रकरण का नोटिस धारा 91 "3" भू—राजस्व अधि० का नोटिस जारी किया जाना चाहिये था। लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 91 भू—राजस्व अधि० के तहत कार्यवाही दर्ज होते ही हस्तगत प्रकरण में प्रथम नोटिस ही बेदखली का नोटिस जारी किया गया जो विधि की मंशानुरूप नहीं है। यदि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 "3" के तहत नोटिस जारी करता तो अपीलार्थीगण अपना पक्ष विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अवश्य ही प्रस्तुत करते लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने बिना नेचूरल जस्टिस के सिद्धान्त की पालना किये ही सीधा ही बेदखली का नोटिस जारी कर दिया गया यानि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण अतिकमी को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही अतिक्रमण मान कर निर्णय पारित फरमा दिया गया है।

2— यह है कि प्रथम बार अतिक्रमण का नोटिस प्राप्त होने पर सुनवायी का प्रोपर अवसर दिया जाकर अपीलार्थीगण अतिकमी के कथन पर विवेचन किया जाकर उसके बाद यदि अतिक्रमण होना सिद्व हो जाता तो बेदखली का आदेश पारित किया जाना चाहिये था। लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवायी का अवसर दिये ही अतिक्रमण साबित मान कर बेदखली का आदेश से पूर्व ही बेदखली का नोटिस अपीलार्थीगण को प्रथम सुनवायी का जारी किया गया जो विधि के प्रावधानित प्रावधानों के विपरीत है। इस लिहाज से अपीलाधीन आदेश अपास्त होने योग्य है।

3— विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का की रिपोर्ट बिना दिनांक की प्रस्तुत हुई है। जिस पर किसी भी मौतबिरान के हस्ताक्षर ही नही है। नियमानुसार पटवार हल्का

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

द्वारा तैयारशुदा रिपोर्ट मय नक्शा पर जो मौका देखने के बाद मौका रिपोर्ट अनुसार ही प्रकरण दर्ज किया जाता है। तथा अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रथम नोटिस जारी किया जाता है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई नोटिस अतिक्रमी को जारी नही किया गया और जो नोटिस जारी किया गया उसकी पुस्त पर तामील की रिपोर्ट समता नामक महिला की तामील करवाया जाना वर्णित किया गया है। उक्त समता अपीलार्थी पुत्री अवश्य हैं लेकिन वह शादीशुदा होकर अपने ससुराल निवास करती है। नोटिस की तामील प्रोपर अपीलार्थी पर कभी नही हुई हैं। और दो अतिक्रमियो की तामील हेतू एक ही सम्मन जारी किया गया है। जिसकी पुस्त पर तामील का अंकन दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने किसी के दबाव में आकर यह कार्यवाही अंजाम दी गयी है। अलावा इसके विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कथाकथित अतिक्रमी अपीलार्थी के विरूद्ध यह प्रकरण दिनांक 16–04–2024 को दर्ज पंजिबद्ध किया गया और आगामी पेशी 19–04–2024 को दी गयी। उसके बाद तामील नही होने से पुनः पेशी तब्दील कर आगामी पेशी 24–04–2024 दे दी गयी। पेशी 24–04–2024 के बाद सम्मन की तामील 30–04–2024 किया जाना उल्लेखित हैं जबकि पेशी दिनांक 27–04–2024 को ही अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाती है। और इस पेशी पर बेदखली का आदेश भी दिया जाता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के पास केवल यही एक पत्रावली शेष रह जाने से एक ही माह के मात्र 15 दिन में प्रकरण दर्ज भी कर लिया जाता हैं और सुनवायी हेंतू तीन तीन पेशियों भी मुकरर कर दी जाती है। इससे भी यह स्पष्ट हैं कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने भारी दबाव में आकर यह प्रकरण सुनवायी हेतू नियत किया है। अलावा इसके अपीलार्थी के पास आज दिन तक कोई सम्मन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का तामील हेतू प्राप्त ही नही हुआ है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय न केवल नेचूरल जस्टिस हेतू प्रतिपादित सिद्धान्त कि " न्याय करना ही प्रर्याप्त नहीं हैं न्याय होते हुवे दिखना भी चाहिये।" तथा किसी भी प्रकरण की तामील एंव सुनवायी के प्राप्त अधिकार के सिद्धान्त तथा भारतीय संविधान के सिद्धान्तों की घोर अवहेलना कारित की है। नेचूरल जस्टिस के सिद्धान्तानुसार अपीलार्थी के बेक एण्ड बिहाईन्ड में पारित आदेश अपास्त होने योग्य है।

4– वास्तविकता इस प्रकार हैं कि जिस स्थान पर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण बताया गया हैं वह रास्ते की भूमि हैं और इसी रास्ते की भूमि के पास ही ग्राम हमीरगढ़ की सरहद लगती हुई हैं और लगती हुई सरहद पर ही हमीरगढ़ ग्राम से आने वाला रास्ता अवस्थित हैं और उक्त रास्ते के पास वर्तमान में एक व्यक्ति द्वारा आराजी खरीद कर फेक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। और उक्त व्यक्ति ने ग्राम हमीरगढ़ से आने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता को आधा कर दिया और अब उसके ट्रक, ट्रेक्टर कार इत्यादि वाहनो के आवागमन में तकलीफ आने के कारण यह प्रकरण पटवार हल्का से मिल कर तथा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय पर अवैध तौर दबाव डाल कर आदेश पारित करवाया गया। जबकि सेटलमेन्ट के समय नाप चौप करवा कर ही अपीलार्थी ने अपनी आराजी सं0 47 की सुरक्षा के लिहाज से मिट्टी का डोल डाल कर तार बन्दी कर रखी है। तत्कालिन रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा नाप चौप किया गया से भी 2–3 फिट पिछे जगह को छोड़ते हुवें तार बन्दी करवायी गयी थी। और रास्ते की भूमि पर तो फेक्ट्री वाले व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा हैं और अपनी सुविधा के लिये अपीलार्थीगण को रास्ते की भूमि पर अतिकमी माना जा रहा हैं। यदि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवायी एंव साक्ष्य का अवसर दिया जाता तो उक्त तथ्य को अपीलार्थीगण साबित अवश्य ही करते। किन्तू उपरोक्त सभी तथ्यों को उजागर नही करने के लिहाज से ही विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में प्रकरण का निस्तारण बिना सुनवायी का अवसर दिये ही कर दिया गया है। ना हि पटवार हल्का द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति में मौका निरीक्षण ही किया गया है।

5– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट होगा कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रिन्टेड प्रोफार्मा नाम पता, आराजी नम्बर व रकबा भरा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जाकर आदेश पर मात्र हस्ताक्षर किये गये है। क्योंकि यदि प्रकरण के गुणा अवगुणों के अनुसार विवेचन किया जाता तो यह स्पष्ट तौर आदेश में उल्लेख आता कि कब नोटिस जारी किया गया और कब एक पक्षीय आदेश पारित किया जबकि न्यायालय ने अनुपस्थिति तो दर्ज कर ली लेकिन एक पक्षीय के बाबत् उल्लेख आदेश में नही किया है। तथा पटवार हल्का द्वारा कब व किन मौतबिरान के समक्ष मौका निरीक्षण किया इत्यादि का कोई उल्लेख नही हैं विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने गोल मोल तरीके से अपने आदेश में यह वर्णित कर दिया जाना कि उपस्थित व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जें की ताईद की हैं। अर्थात न्यायालय को स्पष्ट तौर यह लिखना चाहिये कि कौन व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित थे। तथा उनके बयान लिये गये अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत हुवे हैं विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र एक ही उद्देश्य रहा हैं कि आदेश पारित करना है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने न तो सैद्धान्तिक विधि एव न ही प्रक्रिया विधि की पालना ही की है। नेचूरल जस्टिस के अनुसार मर्डर के प्रकरण में भी अभियुक्त को सुनवायी का पूरा अधिकार दिया जाकर ही आदेश पारित किया जाता है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने न केवल आदेश में स्वंय पक्षकार बन कर मनमाफिक लगान मान कर आदेश पारित किया गया है। जो अपास्त होने योग्य है।

6— चूंकि अधिनस्थ न्यायालय में चल रहे प्रकरण की तामील नही होने से प्रकरण में पारित आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को विहित समयावधि में नही हो पायी थी। अपीलार्थी पेशे से ड्राईवर होने से प्रायः बाहर रहता हैं दिनांक 09—07—2024 को पटवार हल्का द्वारा अवगत कराये जाने पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो कर आवेदन प्रमाणित प्रति हेतू प्रस्तुत किया और 11—07—2024 को नकले प्राप्त होने पर प्रकरण के सम्पूर्ण जानकारी हई। उसके बाद मानसुन की आने के पूर्व खेतों की हकाई करने में लग गये, जिसमे व्यस्त हो जाने के कारण आज न्यायालय में उपस्थित हो कर अधिवक्ता नियुक्त कर यह अपील न्यायालय श्री मान् में प्रस्तुत की जा रही हैं। देरीना समय को क्षमित कराने हेतू धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है।

7— अतिकमी मगना अपीलार्थी का भाई हैं जो मन्द बुद्धि का है। तथा रास्ते की तरफ अपीलार्थी का कब्जा भाई भाई बंटवारा होने से अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही हैं किन्तू मगना अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार होने से उसे यहॉ प्रत्यर्थी सं० 02 कायम किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलार्थीगण सव्यय स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—05—2024 अपास्त फरमाया जावे। विकल्प में यह भी निवेदन हैं कि प्रकरण में अजसरेने निस्तारण हेतू अपीलार्थीगण को सुनवायी साक्ष्य का न्यायोचित अवसर दिया कर निस्तारित करने हेतू प्रकरण रिमाण्ड फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

8— **बाद जांच प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 29.07.2024 को पंजीबद्ध कर प्रत्यर्थीगण को वजह प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया।**

सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलाण्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

9— **प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।** अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि धारा 91 भू—राजस्व अधि० के तहत कायम कार्यवाही के तहत प्रकरण संस्थित करने के

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बाद प्रकरण का नोटिस धारा 91 "3" भू–राजस्व अधि० का नोटिस जारी किया जाना चाहिये था। लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 91 भू–राजस्व अधि० के तहत कार्यवाही दर्ज होते ही हस्तगत प्रकरण में प्रथम नोटिस ही बेदखली का नोटिस जारी किया गया जो विधि की मंशानुरूप नहीं है। यदि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 "3" के तहत नोटिस जारी करता तो अपीलार्थीगण अपना पक्ष विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अवश्य ही प्रस्तुत करते लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने बिना नेचूरल जस्टिस के सिद्धान्त की पालना किये ही सीधा ही बेदखली का नोटिस जारी कर दिया गया यानि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण अतिक्रमी को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही अतिक्रमण मान कर निर्णय पारित फरमा दिया गया है।

10– **प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस में बताया कि** अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए प्रश्नगत अराजियात से बेदखल करने के जो आदेश दिए है, वे विधिसम्मत् है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जाने का निवेदन किया गया।

11– **मैने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया किया। जिसके अनुसार पाया गया कि–** ग्राम तख्तपुरा की आराजी नम्बर 47 रकबा 0.0120 है0 किस्म गेमुरास्ता की भूमि पर श्री उदयराम, मगना पिता रूपा अहीर निवासी तख्तपुरा के द्वारा नाजायज कब्जा करने से पटवारी हल्का तख्तपुरा के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हमीरगढ अतिक्रमी को नियमानुसार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में अतिक्रमी अनुपस्थित रहे। अतिक्रमी का अतिक्रमण होने की ताईद उपस्थित व्यक्तियों से की गई जिसे उक्त भूमि पर अतिक्रमी का अतिक्रमण होना सिद्व पाया गया। अतिक्रमी की ओर से अपना नाजायज कब्जा पुराना होने की ताईद नहीं की गई है, साथ ही राजस्व रेकॉर्ड अनुसार भूमि बिलानाम/चारागाह होने से अतिक्रमी को विधिपूर्ण अधिकार नहीं था तथा अपना कब्जा वैध होने के सबूत पेश करने में भी अतिक्रमी असफल रहा। अतिक्रमी का कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आने से अतिक्रमी को ग्राम तख्त की आराजी नम्बर 47 रकबा 0.0120 है0 किस्म गेमुरास्ता से अतिक्रमी उदयराम, मगना पिता रूपा अहीर निवासी तख्तपुरा को बेदखल किया जाने का आदेश पारित किये गये।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन, तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नही ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हमीरगढ, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 प्रकरण संख्या 02/2024 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रेकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा